



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2016 निगरानी

R-3897-416

शुभान्त कुमार सिंह-173  
द्वारा आज दि. 17/11/16 को  
प्रस्तुत

~~17-11-16~~

543  
17.11.16

रामकमल बैसवार पुत्र गुलालमन बैसवार  
निवासी- ग्राम पठारीदह, तहसील सरई, जिला  
सिंगरौली (म.प्र.) —————आवेदक

बनाम

- 1- रामगोपाल पनिका पुत्र दयाराम
  - 2- शिवचरन पनिका पुत्र विश्वनाथ
  - 3- रमाशंकर पनिका पुत्र सम्पत पनिका
  - 4- सुखलाल पुत्र बुधई साकेत
  - 5- जिवरनिया पति सम्पत पनिका
  - 6- दादूलाल पनिका पुत्र रामप्रसाद
  - 7- रामचरन पुत्र विश्वनाथ पनिका
  - 8- लोलर प्रसाद पुत्र बड़का बैश्य
- निवासीगण- ग्राम पठारीदह, तहसील सरई,  
जिला सिंगरौली (म.प्र.) —————अनावेदकगण

~~शुभान्त कुमार सिंह~~  
एडवोकेट  
म.प्र. उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड  
ग्वालियर-3

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 (1) म.प्र.भू राजस्व संहिता -1959  
(नये संशोधन अधिनियम-2011) विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय  
जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 9/बी-121/RCMS /15-16  
में पारित आदेश दिनांक 29-9-2016 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदक का निगरानी आवेदन-पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

36

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/3897/D/16,

शमरुमल - 121700401

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
8/11/19	<p>आवेदक की ओर से श्री <u>दुष्यंत कुमार सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला <u>सिंगरौली</u> के प्रकरण क्रमांक <u>09/B-121/R(CMS)/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>29/09/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग <u>रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>23/04/19</u> को संभागीय आयुक्त <u>रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	